

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	उत्तर प्रदेश
(I)	राज्य संघ/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	सोनभद्र
(III)	वन प्रभाग	सोनभद्र वन प्रभाग
(IV)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)	18.09 हे०
(V)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
(VI)	हरियाली का घनत्व	0.3
(VII)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और औषधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना(संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. आर एज-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न की जाये	संलग्न है।
(VIII)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
(IX)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के अन्तर्गत
(X)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए	नहीं।
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं।
(XII)	क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दे।	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	भदई अरार से मकरीबारी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं है।	नहीं।

sk

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

10	प्रतिपूरक वनीकरण का ब्योरा	
(I)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रगित वन क्षेत्र और आस पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	प्रतिपूरक वनीकरण पटना रेंज के ग्राग बैजनाथ में प्रस्तावित है, जिसका आकार एवं विवरण संलग्न है
(II)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(III)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(IV)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	प्रस्तावित धनराशि रु0— 45.656 लाख आंकलित की गयी है।
(V)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	678800.00हे0
(II)	जिले का वन क्षेत्र	380908.00हे0
(III)	ममलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	134.542हे0
(IV)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	24
(A)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
(B)	वनेतर भूमि पर	—
(V)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	31.03.2022
(A)	वन भूमि पर	165.860हे0
(B)	वनेतर भूमि पर	—
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने का सम्बन्ध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।


 (संजीव कुमार सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।